आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *RJ/JPC/ FN-11/2008-10*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 6 अंक 1 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 जनवरी, 2009 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु.

न्याय हमारा मौलिक अधिकार

जनहित मंच का न्यायपालिका में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन

न्याय तंत्र बचाओ-देश बचाओ

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण शौरी के पिता श्री एच.डी. शौरी कोमन कोज संस्था के संस्थापक थे जिन्होंने 75 से अधिक जनहित याचिकाएँ दायर की थी, उन्होंने लिखा था- ''देश का न्यायमंत्र सभी प्रकार के आलोचना, अवमानना, फरियादों और हमले का सामना कर रहा है, उसने लोगों का विश्वास खो दिया है।............''

फोरम फोर फॉस्ट जस्टिस, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसने दिल्ली के कोमन कोज, कम्पेइन फोर ज्यूडिशियल एकाउन्टिबिलिटी एण्ड रिफोर्म्स, लोक स्वराज संगठन और पीपल्स यूनियन फोर सिविल लिबर्टीज अहमदाबाद के साथ मिलकर देशहित में न्यायतंत्र में सुधारार्थ एक देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा है। इस अभियान का नाम रखा है Save Judiciary - Save Nation यानी न्यायतंत्र बचाओ-देश बचाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने भी शीघ्र न्याय प्रणाली की वकालत की थी। हमारा मानना है कि समयबद्ध न्याय सर्वोदय आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण ध्येय होना चाहिए।

विलम्बित न्याय का एक कारण है कि न्यायाधीशों और अदालतों की कमी। न्यायाधीशों की खाली जगह वर्षों तक भरी नहीं जाती। वर्तमान में भी करीब 25 प्रतिशत सीटें खाली हैं। सन्तुलित न्याय पद्धति के लिए अन्तरराष्ट्रीय माणक 50 न्यायाधीश हर दस लाख की जनसंख्या के लिए होने चाहिए जो हमारे यहां मात्र 10.50 है। सालाना बजट का 0.78 प्रतिशत हिस्सा न्यायतंत्र चलाने में हमें मिलता है जबकि कोरिया में 0.2 प्रतिशत, ब्रिटेन में 4.3 प्रतिशत और अमेरिका में 1.4 प्रतिशत का बजट में प्रावधान किया जाता है।

जनहित मंच अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनजागृति के लिए सम्मेलनों और परिसंवादों का आयोजन करता रहा है। पिछले दो सालों में ऐसे कन्वेशन्स और सेमीनार्स दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, पालनपुर, बलसाड़ इत्यादि जगहों पार आयोजित किये गये हैं।

हम भिन्न-भिन्न राजकीय पक्षों के सांसदों से मिलकर उनको अपने अगले संसदीय चुनाव घोषणा पत्रों में न्याय सुधार का प्रावधान शामिल करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहक प्रत्युत्तर भी मिल रहा है। अगले 2009 के चुनावों के समय उम्मीदवारों को एक मंच पर लाकर इस ध्येय को सामने रख कर काम करने के लिए उनको प्रतिज्ञाबद्ध करने की कोशिश हम सबको मिलकर करनी है।

आज हमारी अदालतों में कुल मिलाकर करीब तीन करोड़ अस्सी लाख मामले अनिर्णित पड़े हैं उनमें कई तो 30-40 साल तक पुराने हैं। हम ऐसी पद्धति विकसित करना चाहते हैं कि यह समयावधि 2-3 साल से अधिक न हो।

आज चुने हुए लोक प्रतिनिधियों में से करीब 20 प्रतिशत पर कोई न कोई आपराधिक वाद अदालतों में लम्बित है मगर उनको कोई भय नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि अन्तिम आदेश तो वर्षो बाद आयेगा तब तक वे बे-रोक-टोक बार-बार चुने जाने की स्थिति में रहेंगे और केन्द्र तथा राज्यों में मंत्री पद भी भोगते रहेंगे। लोगों में यही कारण अपराध और अनैतिकता को बढ़ा रहा है।

जनहित मंच, जो हमारी जनक संस्था है, उसने कोमन कोज, लोक सेवक संघ और रवि गोयनका को सहयाचिका बनाकर मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका को गृहणार्थ स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार को जवाबी हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। श्री प्रशांत भूषण और उनके पिताजी श्री शांति भूषण जो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ विधिवेक्ता हैं, इस याचिका में संस्थान की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

स्वतंत्रता के इन साठ सालों में केन्द्र सरकार ने 200 से ऊपर लॉ कमीशन की बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें न्यायप्रणाली के सुधार पर अपनी रिपोर्ट्स तैयार की है मगर वे सब सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं। खुद ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2002) 4 एसएससी 247 की याचिका में 2002 अप्रेल में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि अप्रैल 2007 तक न्यायाधीशों की संख्या जो 10.5 प्रतिशत दस लाख की तादाद में है उसको 50 की सीमा तक बढ़ाया जाए और उसके लिए जरूरी कोर्टों की संख्या भी बढ़ाई जाए किन्तु यह आदेश केवल कागजों तक ही सिमट रक रह गया।

अगले वर्षों में हम सभी बड़े शहरों में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए सेवा केन्द्र शुरू करने जा रहे हैं। मुम्बई में ऐसा एक केन्द्र ''सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस, मुम्बई सेन्टर'' के नाम से रजिस्टर्ड किया जा चुका है। सर्वोदय नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमारा अनुरोध है कि वे हमें इस बारे में पूरा सहयोग दें।

हमारी याचिका में भी यही 10.5 प्रतिशत से 50 न्यायाधीश हर दस लाख की जनसंख्या के लिए करने की प्रार्थना है। इसके अलावा जजेज की खाली सीटें त्वरित भर दी जाएं और अदालतों के संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का भी प्रार्थनाएं शामिल हैं।

यदि यह सब कानूनी रास्ते भी अपेक्षित परिणाम लाने में निष्फल हो जाते हैं तो हम अवश्य बापू के बताए हुए विकल्प, जैसे कि सत्याग्रह, अनशन, असहयोग, सविनय कानून भंग और जेल यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं और सड़कों पर उतर आने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।

आईए, हम सब साथ मिलकर ''विलम्बित न्याय, जो अन्याय के बराबर है'' ऐसी पीड़ादायक स्थिति में से शीघ्र न्याय की दिशा में आगे बढ़ें और लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक बलिदान के लिए तैयार रहें।

यह अपील श्री भगवानजी रैयाणी, प्रेसीडेन्ट जनहित मंच, मेम्बर वर्किंग कमेटी, गांधियन सत्यागृह ब्रिग्रेड, मैनेजिंग ट्रस्टी, फोरम फास्ट जस्टिस, मैनेजिंग कमेटी मेम्बर, सोसायटी फोर फास्ट जस्टिस, मुम्बई सेन्टर द्वारा जारी की गई है जिसमें हमारा समाचार पत्र न्यायिक ज्वाला भी पूरी तरह इस अभियान में शामिल हो गया है।

उड़ीसा के चीफ जस्टिस का कहना है-

लम्बित मुकदमों के निस्तारण में लगेंगे 300 वर्ष

वैकल्पिक विवाद निपटारा (एडीआर) प्रक्रिया के प्रयोग को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए उड़ीसा के चीफ जस्टिस बी.एस. चौहान ने कहा कि त्वरित न्याय के लिए यह बेहद जरूरी है। बोले- देश में यदि इसी गति से मामलों का निपटारा होता रहे और आज के बाद कोई केस दर्ज न हो तो भी लम्बित मामलों के निपटारे में 300 साल लग जाएंगे।

उड़ीसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा बहरामपुर में आयोजित एक सेमिनार में जस्टिस चौहान ने कहा कि एडीआर प्रक्रियाओं, मसलन पंचायतें, सुलह बोर्ड, लोक अदालत और मध्यस्थता मंडल को और अधिक लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में तमाम ऐसे लोग हैं, जिनके विवादों के निपटारे में देर हो रही है और ऐसे विवाद आसानी से इन वैकल्पिक प्रक्रिया के जरिए निपटाए जा सकते हैं। मध्यस्थता मंडल के बारे में जस्टिस चौहान ने कहा कि यह विवादों के सेटलमेंट के लिए उपयोगी है। **सुलह को प्रेरित करें वकील :** जस्टिस चौहान ने कहा कि वकीलों को अपने मुवक्किलों को सुलह समझौते के लिए प्रेरित करना चाहिए। बोले- इन वैकल्पिक प्रक्रियाओं से न केवल त्वरित न्याय मिल सकता है, बल्कि लोगों को भारी खर्च से भी राहत मिलेगी। एडीआर की प्रक्रिया देश के लिए नई नहीं है। पौराणिक काल और मध्य काल में विवाद आपसी समझ-बूझ से निपटाए जाते थे। **राजस्थान का भी उदाहरण दिया :** उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश चौहान ने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ आज भी टायबल्स अपने तमाम वाद-विवाद पंचायतों एवं मध्यस्थ के जरिए सुलझाते हैं। कोर्ट जाकर समय बर्बाद नहीं करते।

इसके अलावा हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायालयों में मुकदमों के निस्तारण में जो विलम्ब हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण हमारी न्याय प्रक्रिया और दूसरा कारण है न्यायालयों में झूठे शपथ पत्रों पर कार्यवाही नहीं होना एवं न्यायालय आदेशों की अवज्ञा पर न्यायपालिका का कठोर कदम न उठाना। न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि न्यायाधीशों एवं कोर्टों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद लम्बित मुकदमों के निस्तारण में तेजी तब तक नहीं आ सकेगी जब तक सरकार व न्यायपालिका में इच्छाशक्ति नहीं होगी। उनका यह भी कहना है कि न्यायाधीशों व कोर्टों की संख्या में बढ़ोतरी मुकदमों के अनुपात में की जानी चाहिए न कि किसी देश की जनसंख्या पर। यदि हमारी न्यायपालिका गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया का पालन करावे, झूठे शपथ पत्र देने वालों को जेल का रास्ता दिखाये और न्यायालय आदेशों की अवज्ञा के गुनहगारों को समझाइश के स्थान पर जेल भेजने का विकल्प चुने तो कोई कारण नहीं कि लम्बित मुकदमों का निस्तारण शीघ्र न हो।

सम्पादकीय ....

वोट के बदले नोट काण्ड का हश्र

संसदीय समिति को वोट के बदले नोट काण्ड में दोषी लोगों की जाँच का भार सौंपा गया था और उससे यह उम्मीद की गई थी कि वह इस मामले की निष्पक्ष होकर जांच कर संसद की गरिमा की रक्षा करेगी। किन्तु ऐसा हो न सका। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय वोट के बदले नोट काण्ड के सन्दर्भ में संसदीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह यह साबित करती है कि देश के राजनीतिक दल अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने में पहले से अधिक माहिर हो चुके हैं। संसदीय समिति ने सच्चाई सामने लाने के स्थान पर मामले को दफन करने एवं बड़े लोगों को बचाने की शर्मनाक कोशिश की है। इस समिति ने संदेह के कठघरे में खड़े बड़े-बड़े नेताओं को तो क्लीन चिट दे दी किन्तु उनके सहायकों के खिलाफ उचित एजेन्सी से जाँच कराने की सिफारिश कर दी। ऐसा तब हुआ जब उसने बड़े नेताओं से इस आधार पर पूछताछ नहीं की कि वे राज्यसभा के सदस्य हैं आखिरकार बिना किसी पूछताछ के उन्हें क्लीन चिट कैसे दी जा सकती थी? यदि समिति इन बड़े नेताओं के खिलाफ जाँच करने में असमर्थ थी या वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी तो उसे अपेक्षा की गई थी कि वे संदिग्ध लोगों के खिलाफ किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा जांच कराने की सिफारिश करेगी। इस समिति ने यह क्यों सुनिश्चित किया कि आरोपों के घेरे में बड़े नेताओं के खिलाफ आगे भी कोई जांच न होने पाए। आखिर इस समिति के ऐसे लीपापोती निष्कर्ष के आगे उस आश्वासन का क्या मूल्य जो लोकसभा में नोटों के बण्डल पेश होने के बाद राष्ट्र को दिया गया था। यदि इस जाँच रिपोर्ट के आधार पर कोई यह कहना चाहता है कि अब संसद के प्रति देश की जनता की आस्था बढ़ेगी तो वह शायद भूल कर रहा है। इस जाँच रिपोर्ट ने तो राष्ट्र को ये ही संदेश दिया है कि सरकारें विश्वास मत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और फिर जाँच के बहाने उस पर पर्दा डालने के लिए ऐसी किसी समिति का गठन कर सकती है जो उनके मनमाफिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। समिति राष्ट्र को यह बतावे कि उसके एक सदस्य के इस असहमति पत्र पर यकीन क्यों न करें जो प्रारंभ से ही यह प्रयास कर रहे थे कि समिति मामले की तह तक पहुँचने में विफल रही। इसके लिए कुछ महत्त्वपूर्ण गवाहों की गवाही के लिए आने की अनुमति तक नहीं दी गई और गवाही के लिये बुलाने का प्रयास तक नहीं किया गया। यह असहमति पत्र तो यह सिद्ध करता है कि उक्त समिति के गठन का एकमात्र उद्देश्य इस शर्मनाक मामले को रफा-दफा करना मात्र था। यह भी एक विडम्बनापूर्ण स्थिति रही कि प्रथम दृष्टया पक्षपात नजर आने वाली इस समिति की रिपोर्ट की आलोचना पर ऐतराज किया जा रहा है। क्या संसदीय समिति देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़ी हो गई है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकारी आवासों को खाली करने को लेकर दायर हुई एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश की नेताओं ने जो स्थिति बना दी है उस स्थिति में इसे भगवान भी नहीं बचा सकता। वर्तमान प्रकरण फिर वही स्थिति दुबारा पैदा कर रहा है। इस देश के कानून की यह कैसी विडम्बना है कि कोई लोकसेवक रिश्वत देने का प्रयास करता है, रूपए दिए जाते हैं, रूपए संसद में प्रदर्शित किये जाते हैं और इतने संगीन मामले की जाँच किसी जाँच एजेन्सी की जगह पर एक संसदीय समिति से कराई जाती है क्या भविष्य में संसद में या संसद के बाहर नेताओं के आपसी वाद-विवाद में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जायेगी तो क्या उसकी जाँच भी किसी समिति से कराई जा सकेगी? और यदि संसद में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट में किसी घटना दुर्घटना पर पोस्टमार्टम जैसा दायित्व भी क्या संसदीय समिति निभा सकेगी? इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी न्यायपालिका, देश की विधायिका से टकराव लेने से बचने के प्रयास में हैं और उसने उन्हें ये छूट प्रदान कर दी है कि देश के नेता चाहे जितना संगीन अपराध करे और देश के संविधान व कानून की अपने मन मुताबिक धज्जियाँ उड़ावें उन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है।

'मीडिया की आलोचना का फायदा उठाकर प्रेस की आजादी पर अंकुश ना लगाए सरकार'

नई दिल्ली। आतंकवाद को 'ना' तथा आतंकवादी घटनाओं की मीडिया रिपोर्टिंग पर सतर्कता को 'हाँ' करते हुए दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (डी.यू.जे.) ने सरकार से विजुअल एवं प्रिन्ट मीडिया पर किसी भी तरह का नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों से बाज आने की अपील की है। किन्तु साथ ही उसने मीडिया काउंसलिंग गठित करने की मांग की है जो सरकार और निहित स्वार्थी हितों के दबाव में आये बिना दृढ़ता से अपना कार्य कर सके।

डी.यू.जे. के अध्यक्ष एस.के. पांडे ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि मीडिया काउंसिल मुम्बई जैसे संकट के समय कवरेज में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए खुद का प्रोटोकाल विकसित कर सकती है।

वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती के लिए वर्तमान मीडिया कवरेज की आलोचना कर कोई लाभ नहीं उठाना चाहिए।

डी यू जे ने जोर देकर कहा है कि मीडिया काउंसिल को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उचित, संवेदनशील एवं नीतिपवरक रिपोर्टिंग पर ताजा दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मीडिया काउंसिल को मीडिया प्रोफेशनल्स एवं मीडिया संस्थानों द्वारा शिकायत सुनने, सबूतों को तलब करने तथा गलत कार्य पर दण्ड देने के लिए अधिकृत होना चाहिए।

डी यू जे ने संसदीय सदस्यों को भी एक खुला पत्र लिखा है जिसमें आपातकालीन तदर्थ कदम उठाने की धमकी को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है साथ ही उनसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन के साथ ही प्रेस काउंसिल की अपेक्षा ज्यादा अधिकारों के साथ एक पूर्ण सम्मिलित मीडिया काउंसिल का आग्रह किया गया है।

पांडे ने बताया कि मीडिया काउंसिल में मुख्यतया मीडियाकर्मी, ज्यूरिस्ट तथा सभ्य समाज के विशेषज्ञों के साथ ही कुछ सांसद भी शामिल होने चाहिए।

इसे सरकार नियंत्रित मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए, जिसका कि इस्तेमाल प्रेस को दबाने में किया जा सके। ऐसी स्थिति में यह काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मीडिया काउंसिल की मांग समय-समय पर कई भारतीय निकायों द्वारा उठाई गई है। इनमें कन्फैडरेशन ऑफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसीज एम्पलोई ऑर्गेनाइजेशन, दा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, ऑल इण्डिया न्यूजपेपर एम्पलोई फैडरेशन, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंडिया एंड इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट शामिल हैं।

प्रदेश के हर नागरिक पर 14 हजार का कर्जा

जयपुर। राज्य में गठित नई सरकार के सामने किसी भी राजनैतिक या प्रशासनिक चुनौती से भी बड़ी चुनौती वित्तीय संकट के रूप में सामने आने वाली है। राज्य के प्रत्येक नागरिक पर इस समय करीब 14 हजार रूपए का कर्जा है। प्रत्येक नागरिक पर यह कर्जा पांच साल पहले करीब आठ हजार रूपए था और इस दौरान हर प्रदेशवासी पर करीब छह हजार रूपए कर्जे के रूप में बढ़ चुके हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो इस कर्जे को बढ़ने से रोकने के लिए कोई 'जादू' काम नहीं कर पाएगा। वर्ष 2003 में प्रदेश पर 48 हजार करोड़ रूपए का कर्ज था और अब करीब 82 हजार करोड़ रूपए का कर्जा है।

दूसरी ओर स्विस बैंकों में भारतीय लोगों के 58 लाख करोड़ रूपए जमा हैं यदि नेताओं का नारको टेस्ट कराया जाए तो देश कर्ज से मुक्त हो सकता है।

न्यूज चैनलों पर नकेल कसने की मांग

नई दिल्ली। विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा इस साल मुम्बई में हुए आतंकी हमलों से जुड़े समाचारों को टेलीविजन पर प्रसारण करने को लेकर हुई व्यापक आलोचना ने टीवी की प्रसारण सामग्री के नियमन के बारे में बहस छेड़ दी तो दूसरी ओर न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने समाचार चैनलों के लिए स्वनियमन दिशा-निर्देश जारी किए।

मुम्बई हमलों के कवरेज को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी अधिनियम में संशोधन की पहल की ताकि निजी टीवी चैनलों को कंटेंट कोर्ड के दायरे में लाया जा सके। समाचार चैनलों के लिए जारी दिशा निर्देशों में आपात स्थिति के सीधे प्रसारण के लिए संयम बरतने का आह्वान किया गया। इसी के साथ न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स डिस्प्युट्स रिड्रेसल अथारिटी (एनबीएसडीआरए) ने साफ कर दिया कि वह स्वनियमन पर विश्वास करता है।

एनबीएसडीआरए एनबीए का एक घटक है जो शिकायतों का निवारण करता है। एनबीएसडीआरए के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऐसी किसी भी घटना का सीधा प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आतंकवादी संगठन को सुविधा मिले या उसे अपने विचार पेश करने का मंच मिले। दिशा निर्देशों में ऐसे हालात की कवरेज में ईमानदारी बरतने का आह्वान किया गया है। शुरू में मंत्रालय ने घटनाक्रम का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री आनंद शर्मा ने घोषणा की कि समाचार प्रसारकों के नियमन के लिए स्टैंडिंग मीडिया कंसल्टेटिव कमेटी गठित की जाएगी। यह समिति सूचना एवं प्रसारण सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और संकट की स्थिति में प्रसारण के लिए वीडियो फुटेज की आपूर्ति करेगी तथा मीडिया के लिए आधिकारिक ब्रीफिंग की प्रक्रिया तय करेगी।

बहु प्रतीक्षित प्रसारण विधेयक इस साल भी हाशिए पर ही रहा। इस विधेयक में भी टीवी की प्रसारण सामग्री के नियमन तथा निजी प्रसारण की निगरानी के लिए एक निकाय बनाने का प्रस्ताव है।

बहरहाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मिलने के बाद वह विधेयक पर जल्दी ही फैसला करेगा। इस साल के शुरू में आपत्तिजनक सामग्री एवं विज्ञापनों के प्रसारण के लिए मंत्रालय ने चैनलों में खिंचाई भी की। आरूषि तलवार हत्याकांड मामले की कवरेज ने भी मंत्रालय की आलोचना मोल ली क्योंकि एक मनोरंजन चैनल ने अपने एक लोकप्रिय धारावाहिक में आरूषि मामले से मिलती जुलती घटना दिखाने की कोशिश की थी।

एक बड़े घटनाक्रम में इस साल सरकार ने विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रसारण की सशर्त मंजूरी दे दी। शर्त के अनुसार आवेदक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तीन चौथाई सदस्य सभी प्रमुख कार्याधिकारी एवं संपादकीय कर्मी भारत के निवासी होने चाहिए। इस साल सरकार ने विवादास्पद प्रसार भारतीय (ब्राउकास्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया) संशोधन विधेयक 2008 को पारित कर दिया। इसके अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष की अधिकतम आयुसीमा 70 वर्ष हो गई है।

वेतन वृद्धि का न्यायाधीशों को उपहार

सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने पर मोहर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्टों के जजों को मोटी तनख्वाह के रूप में नए वर्ष का तोहफा मिलेगा। सरकार ने अध्यादेश का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज इसको लेकर नाराज थे कि सरकार ने करीब 20 विधेयकों को संसद के अंतिम सत्र के अंतिम दो दिनों में बिना बहस के बेधड़क पारित कर दिया लेकिन पेश किए जाने के बावजूद सरकार ने दो हाई कोर्ट एण्ड सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलेरीज एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस) संशोधन विधेयक रोके रखा। कैबिनेट सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि दिसम्बर में होने वाली बैठक में ही अध्यादेश पारित कर दिया जाए लेकिन विधि मंत्रालय इस पर आवश्यक टिप्पणी नहीं लिख सका। मंत्रालय को कहा गया कि वो सोमवार तक टिप्पणी (नोट) लिख दे जिससे कि अगले हफ्ते के एजेण्डे में शामिल किया जा सके।

जजों के लिए गुस्सा होने का कारण भी है क्योंकि उनके वेतन का मुद्दा जुलाई से ही अटका पड़ा है। जुलाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश हायर ज्यूडिशियरी के जजों के पारिश्रमिक को रिवाइज करने के लिए तीन जजों के पैनल की सिफारिश फारवर्ड की थी। इसके अलावा सरकार ने सिफारिश किए गए वेतन में से 10 हजार रूपए प्रतिमाह की कटौती कर दी। इसी समय कैबिनेट ने अन्ततः इसकी स्वीकृति दी थी कि संसद में इस संबंध में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। जजों की वेतन बढ़ोत्तरी एक जनवरी 2006 से लागू होगी जबकि उनके व्यय एवं साज-सामान भत्तों को एक सितम्बर 2008 से दो गुना किया जाएगा। संशोधित वेतनमान के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन तिगुना होकर 33 हजार से एक लाख रूपया प्रति माह हो जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता अलग से देय होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 90 हजार वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी महंगाई भत्ते के अलावा 80 हजार रूपया प्रतिमाह मिलेगा। इन्हें जनवरी माह के वेतन के अलावा 40 प्रतिशत एरियर भी मिलेगा। विधि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शेष राशि का भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा।

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने के प्रावधान वाले विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। अंतुले प्रकरण को लेकर सदन में हंगामे और नारेबाजी के बीच इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक विधि और न्याय मंत्री हंसराज भारद्वाज ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में लम्बित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है।

पीएफ घोटाला

आरोपी चार जजों के तबादले की सिफारिश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित भविष्य निधि (पीएफ) घोटाले की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जाँच कराने के उद्देश्य से हाईकोर्ट के चार आरोपी जजों के तबादले की सिफारिश की है।

मामले के कुल 34 आरोपियों में शीर्ष कोर्ट के एक जज सहित अन्य अदालतों के कुछ जज और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सुशील हरकोली, तरूण अग्रवाल और आर मिश्रा सहित उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज जे एस वत के स्थानान्तरण की अनुशंसा की है।

गौरतलब है कि गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जजों के आरोपी होने के कारण जांच में असमर्थता जता दी थी। इसके बाद शीर्ष कोर्ट के जस्टिस अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 सितम्बर को मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे। अब इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों के कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज ए.के. सिंह को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया। राज्य सरकार ने इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने पर सहमति दे दी है।

गाजियाबाद की जिला अदालत के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पीएफ से फर्जी तरीके से 23 करोड़ रूपए निकाले गए थे। मामले के मुख्य सूत्रधार कोषाधिकारी आशुतोष अस्थाना से बरामद कई बिलों से पता चला कि जजों को ए.सी., फ्रिज जैसी कीमती वस्तुएं देकर उपकृत किया गया था। कई जज इस समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। अस्थाना ने फर्जी आवेदनों को जिला जजों से कथित तौर पर मंजूर कराकर पीएफ की रकम में हेराफेरी की थी।

2008 में अदालतों ने बड़े लोगों को भेजा सलाखों के अन्दर

नई दिल्ली। समाज में कानून की सत्ता के अदालती फैसले यादगार रहेंगे। रसूख वाले नकाबपोशों को सलाखों के पीछे भेजने के आए फैसलों ने जहाँ आम आदमी का इंसाफ के मंदिर पर भरोसा बढ़ाया वहीं दो वरिष्ठ वकीलों आर.के. आनंद और आईयू खान को सजा देने के फैसले ने दो-टूक संदेश दिया कि चाहे कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उपहार अग्निकांड के कसूरवार अंसल बंधु और बीएमडब्ल्यू वारदात के दोषी संजीव नंदा जैसे रईसजादे हों या नीतीश कआरा के हत्यारे बाहुबली नेता के बेटे-भतीजे विकास व विशाल यादव हों या दाउद के गुर्गे रोमेश शर्मा इन सब पर इस साल कानून का शिकंजा कसा और वे सलाखों के पीछे भेजे गए। इतना ही नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. शर्मा (शिवानी हत्यांकड) और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी (तस्करी व साजिश) की सलाखों के पीछे भेजने का फैसला भी साफ संदेश दे गया कि अपराधी चाहे जिस रसूख का क्यों न हो कानून के लंबे हाथ से नहीं बच सकता।

सजा जरूर मिलेगी, यह दिया संदेश

साथ ही इनके पीड़ितों को भी यह महसूस हुआ कि देर है अंधेर नहीं।

2008 के अहम फैसलों में नीतीश कटारा के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने का फैसला सबसे महत्त्वपूर्ण रहा। डी.पी. यादव के बेटे विकास यादव और भतीजे विशाल यादव को पटियाला हाउस की एक अदालत ने उम्रकैद दिया। उन्हें अपनी बहन भारती यादव के प्रेमी नीतीश की हत्या का दोषी ठहराया गया। बचाव का हर हथकंडा नाकाम रहा।

यहीं की अदालत ने फैशन डिजाइनर कुंजुम बुद्धिराजा की हत्या के मामले में अपराध जगत के सरगना दाउद का दिल्ली सहयोगी व राजनेता रोमेश शर्मा सहित छह दोषियों को उम्रकैद सुनाई। रोमेश को कर चोरी के एक दूसरे मामले में भी जुर्माना व दो साल की सजा दी गई।

इंडिया एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर के हत्यारे आईपीएस अधिकारी आर.के. शर्मा को उनकी करनी की सजा मिली। शिवानी की 23 जनवरी 1999 को पटपड़गंज स्थित उसके निवास पर हत्या करने वाले सभी चार लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वर्दी की आड़ में वारदात को रफा-दफा करने की कोशिश धरी रह गई।

सिकंद हत्याकांड मामले का 26 साल की सुनवाई के बाद पटियाला हाउस अदालत ने 72 साल के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल एस.जे. चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई। किशन सिकन्दर की दो अक्टूबर 82 को पार्सल में भरे विस्फोट से हत्या कर दी गई थी।

(शेष पृष्ठ चार पर)

कई आरोपियों को सुधरने का मौका भी दिया अदालतों ने

नई दिल्ली। राजधानी की निचली अदालतों ने कानून की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ महीनों में कई अपराधियों को सुधारने का मौका दिया। लीक से हटकर लेकिन अपराध प्रक्रिया संहिता व भारतीय दंड संहिता के अनुरूप ही आए इन फैसलों ने समाज में अमिट छाप छोड़ी। कानून के जानकारों की मानें तो यह एक अच्छी परम्परा है जिसमें आरोपियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया। इससे शासन के उस उद्देश्य की भी पूर्ति हुई जिसमें कानून व सजा का एक मतलब अपराधी को सुधरने का (यदि संभव दिखे) मौका देना भी है। कानून में आम तौर पर गैर संज्ञेय और नाबालिग से हुए अपराध के साबित होने पर इस तरह के प्रावधान होते हैं ताकि वे भूल-चूक के चलते कई गलतियों के कारण संगीन अपराधी बनने से बचाए जा सकें।

पटियाला हाउस अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौतम मेनन ने ऐसे ही एक फैसले में ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले एक मामले में तरूण कुमार (20) को ट्रेफिक स्कूल में ट्रेनिंग लेने के निर्देश दिए। तरूण ने नारायणा निवासी ओमप्रकाश (59) को अपनी मारूति-800 से टक्कर मार कर घायल कर दिया था। मामला अदालत में पहुंचा। बाद में युवक ने अदालत में गलती मानते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की शपथ ली। शिकायतकर्ता भी पसीजा। अदालत ने हालांकि युवक को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया लेकिन बांड भरवाकर उसे दस दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेफिक स्कूल में दाखिले का निर्देश भी दिया। इसी तरह शराब पीकर झगड़ा करने के आरोप में दोषी पाए गए तीन लोगों को इस

(शेष पृष्ठ चार पर)

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में इस साल धरे गए 88 लोकसेवक

पटना। बिहार में लोकसेवकों के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहीम का नतीजा यह है कि लगातार बड़े-बड़े अधिकारी लपेटे में आ रहे हैं। इस साल अब तक 88 पदाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के तर्ज पर बिहार ने सीबीआई के सेवानिवृत्त कर्मियों की मदद से राज्य में साल 2006 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का गठन किया था।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक अपने गठन के दो साल के भीतर ही ब्यूरो ने साल 2006 में 60 मामलों में भ्रष्टाचार में शामिल 68 सरकारी और गैर सरकारी लोक सेवकों को गिरफ्तार किया जबकि साल 2007 में 108 मामलों में 126 भ्रष्ट कर्मियों की गिरफ्तारी की गई जबकि इस साल अब तक 74 मामलों में 88 भ्रष्ट लोकसेवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बिहार में राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई के गठन के पूर्व राज्य के निगरानी विभाग के 1995 से 2005 तक 11 साल के दौरान कुल 47 मामले ही निष्पादित किए गए थे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के 2007 के दौरान अपने हाथ में लिए गए 108 मामलों में गिरफ्तार गिए गए 126 लोगों में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक, मधेपुरा जिलाधिकारी, प्रमण्डलीय वन अधिकारी, जेल अधीक्षक, अभियंता, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी चिकित्सक और कई बैंक प्रबंधक आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने और रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किए गए।

निगरानी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष निगरानी इकाई की टीम ने पूर्व पुलिस महानिदेशक और होमगार्ड के महानिदेशक नारायण मिश्र के राजधानी पटना स्थित वेदनगर निवास पर की गई छापेमारी में उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने से सम्बन्धित कई दस्तावेज बरामद किए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में वे निलम्बित कर दिए गए।

सूत्रों के मुताबिक ब्यूरो की टीम ने पटना आने के क्रम में मधेपुरा के जिलाधिकारी हेमचन्द्र झा की सरकारी गाड़ी से एक लाख 90 हजार रूपए की नकद राशि बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मधेपुरा के जिलाधिकारी के पास से बाद में ब्यूरो की टीम ने आठ करोड़ रूपए की राशि बरामद की थी और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज कर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा ब्यूरो की टीम ने सीतामढ़ी के जेल अधीक्षक प्रेम कुमार, भवन निर्माण विभाग नवादा के कार्यपालक अभियंता अखिलेश कुमार शर्मा, समस्तीपुर की बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू कुमारी, कोशी प्रक्षेत्र ग्रामीण बैंक के प्रबंधक ए.सी. गुप्ता, भोजपुर प्रक्षेत्र के वित्त व वाणिज्य कर सहायक आयुक्त अनिल कुमार, 1992 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी भोला प्रसाद, गया प्रमंडल के वाणिज्य कर उपायुक्त कपिलदेव सिंह सहित कई अन्य भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी और गैर सरकारी लोक सेवकों को गिरफ्तार किया।

निगरानी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी और गैर सरकारी लोक सेवकों के धरपकड़ अभियान के तहत इस साल 74 मामलों में ब्यूरो ने अब तक 88 सरकारी लोक सेवकों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

इस साल गिरफ्तार 88 लोकसेवकों में सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारी, मत्स्य विभाग के उपनिदेशक सहायक श्रमायुक्त, उप विकास आयुक्त, जेल अधीक्षक, कार्मिक विभाग के अवर सचिव, डीटीओ, सहायक अभियंता, ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा कृषि प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा कृषि प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, पथ निर्माण हाईवे डिवीजन व पुल निर्माण, जिला निबंधक, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम मैनेजर जिला उद्यान पदाधिकारी सहायक वाणिज्य कर आयुक्त व वन प्रमंडल पदाधिकारी स्तर के कई पदाधिकारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले के 25 से 30 मामलों के राज्य के सालाना औसत के खिलाफ 2006 में ब्यूरो ने 103 मामले 2007 में 133 मामले और इस साल अब तक 105 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इन मामलों की जांच पूरी करने से पहले के मात्र 15 मामलों के सालाना औसत के खिलाफ 2006 में 99 मामलों की जाँच, साल 2007 में विशेष अभियान चलाकर 272 मामलों की जाँच और इस साल अब तक 81 मामलों की जाँच का कार्य पूरा कर ब्यूरो ने आरोपपत्र दाखिल किए।

सीवीसी ने भ्रष्टाचार के मामलों में वसूले 46 करोड़

नई दिल्ली। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने पिछले साल भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जाँच के दौरान सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुर्माने के तौर पर 46 करोड़ रूपए वसूले हैं। केन्द्रीय निगरानी संगठन ने पिछले साल के दौरान अभियोजन के लिए मंजूरी मिलने में देरी पर भी चिंता जताई है।

पिछले साल नवम्बर की अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट में आयोग ने कहा, 'सीबीआई ने अभियोजन को मंजूरी मिलने के बाद 64 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई को विभिन्न विभागों से जुड़े 44 अन्य मामलों में भी अभियोजन की मंजूरी मिली। इस मामले पर आयोग बारीकी से नजर रख रहा है। संगठन को चिंता है कि अभियोजन की मंजूरी मिलने में काफी समय लगेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक अभियोजन की मंजूरी मिलने में अब भी देरी होती है।'

आयोग की ताजा प्रदर्शन रिपोर्ट में एक हजार 194 मामलों में कड़े दण्ड, 133 मामलों में अभियोजन चलाने और 562 मामलों में जाँच के बाद कड़े जुर्माने की सिफारिश की गई है। जाँच के बाद पिछले साल नवम्बर तक वसूली गई वास्तविक राशि 46.23 करोड़ पाई गई। आयोग ने राजस्व विभाग के पांच अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया। इनमें से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तीन और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के दो अधिकारी हैं। इसके अलावा 91 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई शुरू की गई है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 29 और रेल मंत्रालय के 20 अधिकारी हैं। आयोग की सलाह पर संयुक्त सचिव के पद और इससे ऊपर के पाँच अधिकारियों को दंडित किया गया। इनमें रेल मंत्रालय के तीन और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और नेशनल हाउसिंग बैंक के एक-एक अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा आयोग ने नवम्बर महीने के दौरान जरूरी कार्यवाई के लिए 477 सिफारिशें भेजी हैं।

कई आरोपियों को ...

(पृष्ठ तीन का शेष)

हिदायत के साथ छोड़ा गया कि वे एक साल तक शराब नहीं पिएंगे। उन्हें 15 दिन तक समाज सेवा करने के भी निर्देश दिए गए। तत्कालीन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट देवेन्द्र कुमार जागला ने डराने-धमकाने और चोट पहुंचाने के एक मामले में रामधारी, महावीर और रामफल को सजा सुनाते हुए कहा कि चूंकि तीनों अभियुक्त 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 1988 से दर्ज इस मामले में 19 वर्षों से अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इसलिए उन्हें एक साल तक शराब नहीं पीने और समाज सेवा का निर्देश देकर छोड़ा जा रहा है। उन्हें आवास नहीं बदलने और अपनी प्रोग्रेस रपट बनाने के निर्देश भी दिए। अदालत ने उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए 50 हजार रूपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बांड पर रिहा कर दिया।

इससे पहले भी कई ऐसे अनूठे फैसले आए जिनमें दिल्ली में हुड़दंग मचाने वाले 26 मोटरसाइकिल सवारों को गुरुद्वारे में सेवा करने, और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक युवक को दस दिन तक ट्रैफिक संचालन में सहयोग करने की सजा शामिल है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वर्णकार मेहरा ने कनाट प्लेस इलाके में देर रात मोटर साइकिलों पर निकल हुड़दंग मचाने वालों को गुरुद्वारे की सेवा की सजा दी। और रपट अदालत में पेश करने को कहा।

इसी प्रकार ऊपरी अदालत ने एक और अनूठा फैसला देकर नजीर पेश की। इस बार गुरुद्वारे में सेवा करने या यातायात नियंत्रित करने को नहीं कहा गया बल्कि आरोपी को प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रूपए जमा करवाने का आदेश दिया गया। यह फैसला गबन के एक मामले में आया।

2008 में ...

(पृष्ठ तीन का शेष)

राष्ट्रमंडल खेलों में आने वाले विदेशी मेहमानों को यहां की कानून-व्यवस्था के बारे में दो टूक संदेश डी ग्रीज मामले में फैसले से गया। ग्रीज आस्ट्रेलियाई नागरिक थीं और ब्रह्मकुमारी संस्थान के ध्यान पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली आई थी। टैक्सी ड्राइवर ज्योतिष प्रसाद और आशीष कुमार ने बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। उन्हें अदालत ने फांसी की सजा दी। बी.एम.डब्ल्यू. कार हादसे में अपनी महंगी कार से छह लोगों को कुचल कर मार डालने वाले पूर्व नौसेना प्रमुख एसएम नंदा के पोते संजीव नंदा को सलाखों के पीछे भेजने का फैसला भी अदालत ने इस साल पांच सितम्बर को सुनाया। उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराकर पांच साल की कड़ी कैद दी। इस मामले की लीपापोती करने के लिए सरकारी गवाह को फुसलाने और न्याय में बाधा पहुंचाने वाले दो वरिष्ठ वकीलों आर.के. आनन्द और आईयू खान को दोषी ठहराने का फैसला सुनाया गया। उन पर न केवल चार माह तक अदालतों में वकालत करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया बल्कि ऊपरी अदालत ने उनकी वरिष्ठता छीन ली और जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि खान और आनंद के कारण विधि जगत की छवि खराब हुई। 30 मई 2008 को एक टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित कर बचाव पक्ष के वकील आर.के. आनंद और सरकारी वकील आई.यू. खान को गवाह के साथ सांठ-गांठ करते दिखाया था। अदालत ने एलान किया और दो-टूक फैसला सुनाया। उपहार पर आया फैसला इस साल का आखिरी महत्त्वपूर्ण फैसला था। हालांकि इस फैसले में सजा पिछले साल सुनाई गई थी लेकिन कसूरवार गोपाल और सुशील अंसल दो साल की सजा दिए जाने के बाद से जमानत पर थे और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लेकिन इस साल वे तिहाड़ भेज दिए गए। दस सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की जमानत खारिज कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने का निर्देश उनका टर्निंग प्वाइंट रहा।

उपहार अग्निकांड में मारे गए 59 लोगों के गैर इरादतन हत्या के आरोपी सभी दोषियों को तिहाड़ भेज दिया गया। यह अलग बात रही कि 19 दिसम्बर 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा की अवधि दो साल से घटाकर एक साल कर दी। बावजूद इसके दोषी ठहराए जाने के फैसले को ऊपरी अदालत ने सही बताया।

आतंकवादी हमलों में लहुलुहान हुआ इस साल देश

नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने के बावजूद साल 2008 का दामन आतंकवादी हमलों के कारण खून से सना रहा। जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर के आरक्षी पुलिस बल के शिविर पर हमले के साथ यह खूनी खेल शुरू हुआ। साल भर यह सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में चलता रहा। मुम्बई पर 26 नवम्बर को हुए आतंकवादी हमलों ने कम से कम 200 लोगों को मौत की नींद सुलाने के साथ ही देश की आत्मा पर कभी न मिट पाने वाला घाव दे दिया।

एक जनवरी 2008 को तड़के करीब 2 बजकर 45 मिनट पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर आतंकवादी हमला किया गया। हमले में केन्द्रीय बल के साथ जवानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई।

इसके बाद बारी आई राजस्थान की। जयपुर में 13 मई 2008 को भीड़ भरे इलाकों में लगभग 12 मिनट के अन्दर आठ बम विस्फोट हुए। इन विस्फोटों में 68 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हुए। आतंकवादियों का अगला निशाना बना कर्नाटक जहां राजधानी बेंगलूर में 25 जुलाई को कम तीव्रता वाले नौ बम विस्फोट होने से दो व्यक्ति मारे गए और 12 घायल हो गए। अगले दिन यहां एक बम पाया गया जिसे निष्क्रिय कर दिया गया।

बेंगलूर में सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद 26 जुलाई को एक और भाजपा शासित राज्य धमाकों से थर्राया। गुजरात के अहमदाबाद में दो घंटे से कम समय के भीतर 20 जगहों पर बम विस्फोट हुए जिनमें 57 लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हो गए। पूरे शहर में दहशत फैल गई।

देश की राजधानी दिल्ली 13 सितम्बर 2008 को आतंकवादियों का निशाना बनी। राजधानी के भीड़ भरे इलाके में हुए छह सिलसिलेवार बम विस्फोटों ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। नई दिल्ली के ही महरौली इलाके के व्यस्त बाजार में 27 सितम्बर 2008 को हुए एक बम विस्फोट में तीन व्यक्ति मारे गए।

गुजरात के मोदासा में 29 सितम्बर 2008 को एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में छिपा कर रखे गए कम तीव्रता वाले बम के फटने से एक व्यक्ति की मौत हुई और कुछ लोग घायल हो गए। इसी दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में भीड़ भरे बाजार में मोटरसाइकिल पर रखे गए बम के विस्फोट से पांच लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 अक्टूबर को कर्नलगंज बाजार में किराए की एक साइकिल में रखे गए बम में विस्फोट होने से आठ व्यक्ति घायल हो गए।

मणिपुर में 21 अक्टूबर 2008 को मणिपुर पुलिस कमाण्डो काम्पलेक्स के पास शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। पूर्व के द्वार असम में 30 अक्टूबर को अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में 66 लोगों की मौत हो गई जबकि 470 अन्य जख्मी हो गए। पूर्वोत्तर राज्य में गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और बोंगईगांव जिलों में हुए 13 सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे बांग्लादेश के हूजी आतंकवादियों का हाथ होने का संदेह जताया गया।

नवम्बर के अन्त में बारी आई देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई की। मुम्बई के भीड़ भरे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर 26 नवम्बर को दो पाँच सितारा होटलों ओबेराय व ताज और नरीमन हाउस इमारत सहित मुम्बई में कई जगहों पर गोलीबारी और सिलसिलेवार विस्फोट हुए।

आतंकवादियों ने 59 घंटे तक मुम्बई के ताज होटल ट्राइडंट ओबराय और नरीमन हाउस पर कब्जा किए रखा और कम से कम 200 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुम्बई पुलिस, एनएसजी और सुरक्षा बलों के कुछ जांबाज अधिकारी भी शहीद हो गए।

भारत के पैसे से भारत पर हमला

'पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई नकली नोटों के सहारे मुम्बई में आतंक के पोषण पर हर साल 13 करोड़ रूपए खर्च करती है'- **मुम्बई पुलिस।**

'अगस्त 2007 में हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार के धमाकों में संदिग्ध दो लोग भारत में नकली नोट लाने के मामले में भी वांछित' : **जाँच एजेंसियाँ।**

किसी गलत फहमी में मत रहिए, यह तथ्य इस बात के सबूत हैं कि भारत में अब आतंक का खेल भारतीय पैसे से भी खेला जा रहा है। आतंक को पालने पोसने के वर्षों के अनुभव के सहारे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंक के वित्त पोषण को काफी हद तक संगठित कर लिया है, और नकली नोट इस अर्थतंत्र का एक मजबूत आधार बन गए हैं। आईएसआई, डी कंपनी की मदद से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और दुबई के अपने अड्डों के जरिए नकली नोट भारत में झोंकती है। हालत यह है कि अब देश के कई इलाकों में आतंक की फसल को पालने के लिए आईएसआई को बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के करीब दो दर्जन शहर इस कारोबार का गढ बन रहे हैं। इस साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में स्टेट बैंक की शाखा से 1.5 करोड़ रूपए के नकली नोटों की बरामदगी लोगों को भले ही याद हो पर अप्रैल में ढाका में 50 लाख रूपए की भारतीय मुद्रा के साथ नौशाद आलम खान की गिरफ्तारी बहुतों के दिमाग से उतर चुकी होगी। लेकिन नौशाद आलम खान की गिरफ्तारी के साथ बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी संगठन हूजी और नकली नोटों के रिश्ते एक बार फिर प्रमाणित हुए हैं। नौशाद खान के हुजी प्रमुख मुफ्ती अब्दुल हन्नास से सीधे संपर्क पाए गए हैं और दोनों तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके हैं। इसी हन्नान के खिलाफ ढाका में चार्जशीट दायर की गई है। अगर खुफिया एजेंसियों के अन्दरूनी आकलन पर भरोसा किया जाए तो भारत में 20 फीसदी मुद्रा नकली हो सकती है। यह आकलन यदि आधा भी सही है तो अंदाज लगाया जा सकता है कि यह साजिश कितनी गहरी और बड़ी है। साजिश यकीनन बड़ी है क्योंकि पिछले साल गोकुल चाट भंडार धमाके से पहले हैदराबाद में नकली नोटों की बरामदगी के सिलसिले में भी वांछित थे। मुम्बई पुलिस ने पाया है कि नकली नोटों के एजेंट करीब 30 फीसदी डिस्काउंट पर नकली से असली नोट बदलते हैं और यह पैसा आतंकी स्लीपर सेल्स को जाता है। अकेले मुम्बई में इस साल अलग-अलग मामलों में 27 लोग पकड़े गए हैं जिनमें 13 बांग्लादेशी हैं और मार्च में पकड़े गए दो बांग्लादेशियों के पास तो नकली मुद्रा के साथ दो किलो आरडीएक्स भी मिला था। खुफिया सूत्र मानते हैं कि पाक सरकार में पहुंच के जरिए नोट छापने वाली सिक्योरिटी इंक यानी स्याही और कागज को हासिल करना आईएसआई के लिए बायें हाथ का खेल है, इसलिए नकली नोट इतने 'असली' दिखते हैं। इस बात के भी संकेत हैं कि आईएसआई क्वेटा, बलूचिस्तान और यहाँ तक पूर्वी एशिया के देशों में भी नकली भारतीय मुद्रा छपती है। कराची के आफताब बटकी को नकली नोटों के कारोबार में आईएसआई का मुख्य आदमी माना जाता है जो कि डी कंपनी से भी ताल्लुक रखता है। भारत में पकड़े गए नकली नोटों के बड़े मामलों के अगर सूत्र जोड़े जाएं तो एक साजिश की डिजाइन उभरने लगती है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई नकली नोटों की बड़ी खेपें दुबई और बैंकांक से लोगों के जरिए हैदराबाद और अहमदाबाद भेजती है जबकि छोटी खेपें नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से या श्रीलंका व करांची के जरिए समुद्री रास्ते से भेजी जाती हैं। नेपाली और पाक नागरिक भारतीय नकली नोटों के साथ बैंकांक और श्रीलंका में पकड़े जा चुके हैं। यदि पिछले तीन-चार वर्षों में नकली नोटों की बड़ी बरामदगी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नौ, गुजरात के चार, आंध्र व महाराष्ट्र के एक-एक शहर में इस संगठित कारोबार के सबूत मिल चुके हैं।

भारत ने की इजराइली हमलों की कड़ी निन्दा

नई दिल्ली। भारत ने तीन दिन के भीतर जारी दूसरे बयान में गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों की कड़ी निन्दा की है और पश्चिम एशिया में तुरन्त हिंसा समाप्त किए जाने की मांग दोहराई है। भारत ने कहा है कि गाजा पट्टी पर इजराइली हमले से शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। भारत ने इजराइल से खुद पर कड़ा संयम रखने और शंति का मौका देने की अपील की है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इजराइल की ओर से भविष्य में इस प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विष्णु प्रकाश ने कहा कि यह दु:खद है कि गैर आनुपातिक बल के प्रयोग के कारण बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए जबकि दूसरी तरफ हिंसा में भी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा, बेतहाशा और अवांछित बल का प्रयोग निन्दनीय है। हमास के सुरक्षा परिसर में इजराइली विमानों से किए गए हमलों में 220 लोग मारे गए थे। भारत ने गाजा पट्टी में नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी फिलस्तीन के गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले की कड़ी निन्दा की है। भाकपा केन्द्रीय कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक इस हमले में 290 लोग मारे गए हैं और बड़ी तादाद में घायल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। इजराइल के पिछले सात सप्ताह से गाजा पट्टी पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण इस क्षेत्र को लोगों को जीवनदायी दवाओं सहित जरूरी चीजें खरीदने की समस्या पैदा हो गई है। इसमें कहा गया है दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रतिबंध को लगाने में मिस्र की सरकार इजराइल का सहयोग कर रही है। इस समय गाजा पट्टी हमास के नियंत्रण में है। इरान और सीरिया को छोड़कर कोई भी पश्चिम एशियाई देश इजराइल पर गाजा पट्टी छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस अमानवीय कार्य में इजराइल का समर्थन कर रहा है।

जनता ने भरम तोड़ दिया

वेद व्यास

❑ राजस्थान में तेरहवीं विधानसभा के लिए चुनावों में जो कुछ परिणाम सामने आए हैं उससे कुछ लोग खुश तो कुछ लोग दुखी जरूर होंगे लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि जनता एक परिवर्तन चाहती थी जो उसने सिद्ध कर दिखाया है। विधानसभा की 200 सीटों में से 96 पर कांग्रेस, 78 पर भाजपा, 6 पर बसपा, 3 पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 2 पर सजपा तथा अन्य 15 पर छुटपुट दलों ने और निर्दलीय एवं बागियों में जीत हासिल की है। मतों के इस खेल में 41.6 प्रतिशत कांग्रेस को और 38 प्रतिशत मत भाजपा को मिले हैं जबकि शेष 21 प्रतिशत मतों ने 26 सीटों की कहानी बदली है। इस तरह 30.6 प्रतिशत मतों ने भाजपा में 'फील गुड' फैक्टर की हवा निकाल दी है। परिणामत: इस नये सदन में जनमत का बहुमत विपक्षी दलों के साथ गया है क्योंकि कांग्रेस के कुल मतदान में 50 प्रतिशत से भी कम वोट पाए हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में जीता वही सिकन्दर होता है। अत: यह जनादेश स्वीकार करना चाहिए कि जनता को सरकार बदलना तो आता है भले ही उसने व्यवस्था बदलने का जादू अभी तक नहीं सीखा है।

❑ इस बार चुनाव परिणाम हमें एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि राजस्थान में दो मुख्य दलों (कांग्रेस-भाजपा) की एकछत्र राजनीति का तिलस्म अब आगे चलकर खंडित होने का संकेत दे रहा है तथा यह भी बता रहा है कि मतदाता को अब भविष्य में सामंतवादी सोच, साम्प्रदायिक वैमनस्य, जातिवादी कटुता तथा भ्रष्टाचार का सर्कस दिखाकर बंधुआ मजदूर बनाना संभव नहीं होगा। क्योंकि एक बार फिर राजनीतिक दलों और नेताओं से आम जनता अधिक चतुर और निर्णायक साबित हुई इसलिए हमें इस परिवर्तन को भी एक सकारात्मक दृश्य परिवर्तन के रूप में ही लेना चाहिए तथा विजय के अहंकार तथा पराजय की निराशा से बचना चाहिए। लोकतंत्र में चुनावों की गतिशीलता में ही परिवर्तन और सुधार की पगडंडी चलती रहती है।

❑ राजस्थान के विधानसभा चुनाव परिणामों ने हमारे और कई राजनैतिक दलों के इस पुराने भ्रम को भी तोड़ दिया है कि राजा तो राज करने के लिए ही पैदा होते हैं और कुर्सी पर वंशवाद का बोलबाला ही रहता है। उदाहरण के लिए भरतपुर में विश्वेन्द्र सिंह, अनूपगढ़ में कुलदीप सिंह, नागौर में हरेन्द्र मिर्धा, वैर में संजय पहाड़िया, धौलपुर में अशोक शर्मा, शाहपुरा में आलोक बेनीवाल आदि इसके प्रमाण हैं। इस बार कुछ परिवर्तन ऐसे भी आया है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एक ही पार्टी और एक ही उम्मीदवार के एकाधिकार को तोड़ दिया गया है तो यहां कांग्रेस और भाजपा के अनेक महाबलियों का हारना भी यही बताता है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। इसके साथ ही मतदाता ने अबकीबार जाट राजनीति और कर्मचारी राजनीति की गिरोहबंदी को तोड़ा है तथा बता दिया है कि लोकतंत्र में किसी एक जाति, वर्ग और गुट का आतंक शेष छत्तीस जातियों को मंजूर नहीं है। यही जनता की मौन राजनीति चुनाव परिणामों से फिर उभर कर आई है कि किसी एक जाति के बाहुल्य वाले क्षेत्र में उसी जाति के बीच आपसी महत्वाकांक्षाओं की महाभारत मच गई है। आगामी चुनावों में जाट के बाद राजस्थान की दूसरी राजनैतिक महत्वाकांक्षी जाति मीणा है तथा उसे भी देर-सवेर इसी रामलीला से दो-चार होना पड़ेगा। इस तरह चुनावों में जातीय समाजों की समीकरणें बदलेंगी, लड़ेंगी-भिड़ेंगी और आगे भी डूबती-उभरती रहेंगी क्योंकि चुनावों की राजनीति की आत्मा हमारे महान भारत में अभी जातीय अस्तिओं में ही केन्द्रित है इसलिए आने वाले समय में जातीय विभाजन की पहलवानी बढ़ेगी तथा किरोड़ी लाल मीण, कर्नल बैंसला, शीशराम ओला, परसराम मदेरणा सरीखे अनेक तथाकथित जाति पुरूषों का सपना भी टूटेगा। ऐसे में और अगले परिवर्तन में छोटे-छोटे जातीय समीकरण तथा समूहों की लामबंदी बड़ी-बड़ी जातियों के तोते उड़ा देगी।

❑ हमारी विनम्र समझ तो यह भी मानती है कि कोई भी मतदाता किसी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र, अखबार, टी.वी. चैनलों के विज्ञापन, सरकारी धन से संचालित सत्तारूढ़ पार्टी की प्रचार पुस्तिकाएँ पढ़कर और जय जय राजस्थान की नौटंकी सुनकर अपना मत नहीं देता है तथा मतदाता की पूरी मानसिकता जातीय, साम्प्रदायिक तथा स्थानीय हानि-लाभ की बातों से ही बनती है। सुबह-शाम के घर-परिवार के दुख-सुख ही मतदाता में उत्साह और निराशा जगाते हैं। इस विधानसभा चुनाव में कोई 67 प्रतिशत मतदान का एक पहलू यह भी है कि जनता अपने अधिकार का जादू समझ गई है तथा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता तथा अन्याय के दलदल में फँसे रहते हुए भी हिम्मत जुटाकर बोलने लगी है तथा ताल ठोक कर वोट डालने लगी है। मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार दलित, महिलाओं तथा युवाओं का भारी मतदान भी यही दर्शाता है कि वह वर्ग परिवर्तन के सामाजिक संघर्ष में सबसे ज्यादा बैचेन हैं तथा पिछले पांच सालों के पुलिस गोलीकाण्ड, चामुण्डा माता मंदिर की त्रासदी, दलित एवं महिला उत्पीड़न का दुष्प्रभाव इन्होंने ही भोगा है। अब तो यह बात हमें मान ही लेनी चाहिए कि धार्मिक आस्था और देवीदर्शन किसी को कुछ विश्वास तो दे सकता है लेकिन राजपाट का अंतिम फैसला तो एक दिन का बादशाह और फिर पांच साल तक बेचारा एक मतदाता ही करता है।

❑ मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रदेश में भाजपा तथा कांग्रेस की भीतरी राजनीति और ध्रुवीकरण में फिर से भारी बदलाव आयेगा तथा परम्परा के अनुसार कांग्रेस में संगठन का ढांचा कमजोर होगा तथा भाजपा में फिर से संगठन का ढांचा मजबूत होता तथा यह स्थिति आगामी लोकसभा चुनावों को पुन: प्रभावित करेगी।

❑ कांग्रेस के लिए सी.पी. जोशी, बुलाकीदास कल्ला, नारायण सिंह, चन्द्रभान, संयम लोढ़ा, अश्कअली टाक, माहिर आजाद, जुबेर खां, सी.एस. बैद, प्रद्युम्न सिंह आदि का हारना निश्चय ही विचारणीय है तथा केवल नवल किशोर शर्मा, गिरिजा व्यास, शिवचरण माथुर, गोविन्द सिंह गुर्जर, बी.एल. जोशी आदि की प्रवासी महत्वाकांक्षाओं के हस्तक्षेप से ही राजस्थान में कांग्रेस का आने वाला कार्यस्वरूप मजबूत नहीं रहेगा। इसी तरह भाजपा में भी मुख्यमंत्री (वसुन्धरा राजे) केन्द्रित एकल क्रान्ति जिस तरह जातीय प्रबन्धन की चतुराई से असफल हुई है उससे भी भाजपा को अपने गिरहबान में झाँकने का अवसर मिला है।

❑ बहरहाल राजस्थान की जो भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दुर्दशा है उसका बखान और खुलासा तो आप चुनाव प्रचार में एक-दूसरी पार्टियों से खूब सुन चुके हैं इसलिए अब सरकार में आई कांग्रेस सरकार पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने ईमानदार, पारदर्शी, जवाबदेह तथा संवेदनशील प्रशासन और परिवर्तन का नया चेहरा, चाल तथा चरित्र साबित करे। बसपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बढ़ना ही यही कहता है कि जो भी सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करेगा वही जनता का विश्वास जीतेगा। कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी इस रणनीति पर सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यक और दलित जातियाँ उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं।

❑ आज राजस्थान में 1952 से जारी लोकतंत्र चुनाव दर चुनाव उस संक्रमण से गुजर रहा है जिसमें जातियाँ ही जातियाँ तो हैं लेकिन किसी एक जाति में भी एकछत्र नेता, मार्गदर्शक तथा समाज सुधारक नहीं है। इस तरह जाति और सम्प्रदायों में विखण्डन से विखण्डन का दौर चल रहा है तथा अब धनबल लगातार जाति-धर्म को बाहर धकेल रहा है। यानि की ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक और राज्य सभा तक के सभी चुनावों में पैसे की ताकत ही अब उम्मीदवार और पार्टियों का स्वर्ग और नरक तय कर रही है।

❑ राजस्थान में विधानसभा के यह चुनाव एक बार फिर यह परिवर्तन साबित कर रहे हैं कि सुनार (सत्ता) की सौ चोट पर लुहार (मतदाता) की एक चोट हमेशा भारी पड़ती है और इससे ही लोकतंत्र में विकास और न्याय की आधारशिला बनती है। जो होना था वह तो हो चुका लेकिन अब हमें अपने अपने गिरेबान में झांककर यह सोचना चाहिए कि इस पिछड़े और आधे-अधूरे राजस्थान को समता, न्याय तथा सदभाव की ताकत कैसे बनाया जाए और विसंगतियों के चक्रव्यूह से कैसे मुक्त कराया जाए। यही काम कोई एक दल और सरकार कभी नहीं कर सकती क्योंकि जन सहयोग के बिना सरकार सदैव अधूरी ही है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा

क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने पर सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा कर ढ़ाई लाख और अब साढ़े चार लाख कर दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाए जाने की अधिसूचनाओं को गैर कानूनी ठहराते हुए रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की पीठ ने आईआईटी मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पी.वी. इन्द्रसेन व नायर सर्विस सोसायटी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी किया।

प्रोफेसर इन्द्रसेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाए जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। याचिका में कहा गया है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा कर सरकार ने जाति आधारित आरक्षण में ओबीसी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को लाभ देने की कोशिश की है। जो लोग छूटे हैं उनकी संख्या न के बराबर है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 14 अक्टूबर को खाली पड़ी ओबीसी की सीटों को सामान्य वर्ग के छात्रों से भरने का निर्देश दिया था। लेकिन सरकार ने एक दिन पहले ही 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर क्रीमी लेयर का दायरा ढ़ाई लाख से बढ़ाकर साढ़े चार लाख रूपए कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी की खाली बची सीटों को सामान्य वर्ग से भरने का प्रयास नहीं किया गया और सरकार ने 16 अक्टूबर को केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों को सूचित किया कि वे गत 13 अक्टूबर को जारी नए आफिस मेमोरेंडम के मुताबिक क्रीमी लेयर की बढ़ी हुई सीमा के मुताबिक छात्रों को अतिशीघ्र प्रवेश दें।

याचिका में कहा गया है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने से आरक्षण का सारा लाभ क्रीमी वर्ग ही लेगा और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग इसका लाभ पाने से वंचित रह जाएगा। इस तरह आरक्षण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। प्रोफेसर इन्द्रसेन की याचिका में तीन मार्च 2004 के आफिस मेमोरेंडम (क्रीमी लेयर का दायरा एक लाख से बढ़ा कर ढ़ाई लाख किया) तथा गत 13 अक्टूबर के ऑफिस मेमोरेंडम (क्रीमी लेयर का दायरा ढ़ाई लाख से बढ़ा कर साढ़े चार लाख किया गया) को गैरकानूनी घोषित कर निरस्त किए जाने की मांग की गई है।

मौत के बाद भी प्रीमियम लिया तो देना होगा दुर्घटना मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर कंपनी किसी वाहन मालिक की मौत के बाद भी प्रीमियम लेकर वाहन के बीमे का नवीनीकरण करती है तो वह दुर्घटना की सूरत में मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। बीमा कंपनी ने मुआवजे की अदायगी से बचने के लिए बहाना बनाया था कि वाहन का मालिक पहले ही मर गया था लिहाजा उसके ट्रक को वह बीमाशुदा नहीं मानती।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति सी. जोसफ की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की एक अपील को खारिज करते हुए यह अहम कानूनी व्याख्या की है। खंडपीठ के मुताबिक एक तरफ तो बीमा कंपनी ट्रक के बीमे का लगातार प्रीमियम लेकर नवीनीकरण करती रही और दूसरी तरफ मुआवजा देने की नौबत आई तो बहाना बना दिया कि ट्रक मालिक के काफी पहले ही मर जाने की बात उससे छिपाई गई। लिहाजा वह दुर्घटना मुआवजा नहीं देगी। खंडपीठ ने कहा कि प्रीमियम लेने का सीधा मतलब है कि बीमा कंपनी ने वाहन के बीमे का अनुबंध कर लिया है।

हिमाचल प्रदेश के आत्माराम शर्मा के ट्रक का इस कंपनी से बीमा था। आत्माराम शर्मा की 1991 में मौत हो गई। लेकिन उसके वारिस ट्रक को फिर भी उसी के नाम से दर्ज होते हुए भी चलाते रहे और हर साल उसके बीमे का प्रीमियम चुका कर नवीनीकरण कराते रहे। 1994 में यह ट्रक एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और इसे चला रहे ड्राइवर चतर सिंह की मौत हो गई। चतर सिंह के परिवारजनों ने बीमा कंपनी पर मुआवजे का दावा किया तो कंपनी ने दलील दी कि ट्रक का मालिक आत्माराम पहले ही मर चुका था और उसकी मौत की खबर कंपनी से छिपाई गई, जो धोखाधड़ी है। लेकिन बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर श्रमिक मुआवजा अदालत के चतर सिंह के आश्रितों को एक लाख 42 हजार रूपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

बीमा कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट ने भी बीमा कंपनी के तर्क को नहीं माना और कहा कि बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करते वक्त खुद जाँच करनी चाहिए थी कि ट्रक का मालिक जीवित है या नहीं। प्रीमियम लेकर बीमे का नवीनीकरण करने के बाद वह ट्रक मालिक की पहले मौत हो जाने का बहाना बनाकर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट आई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी बीमा कंपनी की विशेष अनुमति याचिका को बेदम बता कर खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के हिसाब से तो एक बार बीमा पॉलिसी जारी होते ही बीमा कंपनी मुआवजे की अदायगी के लिए कानूनी तौर पर बाध्य हो जाती है। हालांकि अदालत ने माना कि बीमा समझौते में कानूनी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तीसरे पक्ष के बीमे का हो तो उसके जोखिम को नकारा नहीं जा सकता।

पेय की बोतल में मच्छर, पाँच हजार रूपए जुर्माना

नई दिल्ली। पेप्सी की बोतल में मच्छर मिलने की शिकायत लेकर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले ग्राहक को पाँच हजार का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे.डी. कपूर ने शिकायतकर्ता को मुआवजा पाने का हकदार बताया और कंपनी को इसके लए जिम्मेदार ठहराया।

जे.डी. कपूर ने कहा, पेयजल की गुणवत्ता काफी खराब थी। आयोग ने पेप्सिको की निर्माण इकाई देवयानी बवरेज लिमिटेड को शहर के निवासी पंकज दुआ को मुआवजा देने को कहा। कंपनी यह मामला जिला उपभोक्ता फोरम में भी हार चुकी थी और फोरम के आदेश को राज्य उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी गई थी।

कथित तौर पर मिलावट वाला ग्लूकोज बेचने के आरोपी तीन दुकानदारों को एक अदालत ने इस आधार पर बरी कर दिया कि जाँच एजेंसी प्रीवेंसी ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट (पीपीए) के तहत जरूरी कार्यवाही करने में विफल रही। सीबीआई ने तीन दुकानदारों के खिलाफ यह मामला 20 साल पहले दर्ज किया था।

देश में पुरूष भी हो रहे हैं यौन अपराधों का शिकार

नई दिल्ली। यौन अपराधों के लिए केवल महिलाओं का ही अपहरण नहीं होता, देश में पुरूष भी इसके शिकार हो रहे हैं। अवैध यौन संबंध बनाने और वेश्यावृत्ति के लिए वर्ष 2007 में 67 पुरूषों को अगवा किया गया। इनमें से पांच मामलों में तो वेश्यावृत्ति के लिए पुरूषों का अपहरण हुआ। इनमें से पाँच मामलों में तो वेश्यावृत्ति के लिए पुरूषों का अपहरण हुआ। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले यौन अपराधों के लिए पुरूषों को अगवा करने के मामलों में 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2006 में ऐसे 38 मामले सामने आए थे। 'भारत में अपराध-2007' रिपोर्ट के कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2007 में यौन अपराधों के लिए 2586 महिलाओं का अपहरण किया गया, जिनमें से आठ महिलाओं की उम्र तो 50 वर्ष से अधिक थी। वैसे सेक्स और वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं का अपहरण मामलों में 2006 के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई। 2006 में ऐसे 2599 मामले सामने आए थे। अपहरण के सबसे ज्यादा मामले 18 से 30 वर्ष की उम्र की महिलाओं के थे। वर्ष 2006 के 1488 मामलों के मुकाबले 2007 में इस आयुवर्ग की 1608 महिलाओं का सेक्स और वेश्यावृत्ति के लिए अपहरण किया गया। 422 महिलाओं को तो वेश्यावृत्ति के दलदल में झोंकने के लिए ही अपहृत किया गया था। एनसीआरबी की मानें तो देश भर में शरीर के अंगों की खरीद-फरोख्त के लिए अपहरण का एक भी मामला सामने नहीं आया। जबकि भीख मांगने के धंधे में उतारने लिए बच्चों के अपहरण के 17 मामले दर्ज हुए। आश्चर्यजनक रूप से बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जहां महिलाओं की तुलना में पुरूषों के अपहरण के ज्यादा मामले सामने आए।

सुप्रीम कोर्ट ने सौ याचिकाएं संविधान पीठ को भेजी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा माल ढुलाई पर वसूल किए जा रहे प्रवेश कर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक सौ से अधिक याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा है। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया की खंडपीठ ने इन याचिकाओं के साथ-साथ जनहित के मुद्दों से जुड़े दस प्रश्नों को विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा।

संविधान पीठ को भेजे गए मुद्दों में सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान की अनुसूची सात के तहत सूची संख्या दो के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क 52 के तहत वसूला जा रहा शुल्क क्या अनुच्छेद 301 देश में कहीं भी व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दो सदस्यीय खंडपीठ ने इस प्रश्न पर आधिकारिक घोषणा की मांग की है कि क्या प्रवेश कर 301 का उल्लंघन करता है। यदि यह स्वभाव से क्षतिपूर्तिकर्ता है तो क्या इस कर की सुरक्षा की जानी चाहिए।

यदि इसका जवाब सकारात्मक है तो इस तरह के कर को निर्धारण में क्या दिशा-निर्देश हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के शीघ्र निपटारे के लिए अपने पंजीयक को पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के निर्देश दिए। साथ ही इससे जुड़े पक्षों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी।

'आपराधिक प्रकरण लम्बित होना सरकारी सेवा की अयोग्यता नहीं'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक निर्ण में कहा है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस लंबित होना उसकी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं है। न्यायाधीश अजय रस्तोगी की एकलपीठ ने यह निर्णय कोटा निवासी, मुकेश कुमार अरविन्द की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसे जीएनएम (जनरल नर्स एंड मिडवाइफ) पद पर सभी परिलाभों सहित एक माह में नियुक्ति दे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने 21 अप्रैल, 08 को जीएनएम पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। उसने भी आवेदन किया और साक्षात्कार के बाद उसका चयन हो गया, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई। जब सक्षम अधिकारी से पूछा तो उसने कहा कि पुलिस सत्यापन में उसके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस लंबित होना पाया गया है। इस कार्यवाही को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने दलील दी कि आवेदन फार्म में यह जानकारी नहीं मांगी गई थी, इसलिए अभ्यर्थी पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने फॉर्म में कोई जानकारी छिपाई है।

रेप केस की जाँच में सिर्फ महिलाएँ

नई दिल्ली। बलात्कार के मामले अब महिला पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में ही निपटाये जाएंगे। जाँच महिला पुलिस अधिकारी करेंगी तो महिला ही जज होगी।

बलात्कार की जाँच-पड़ताल में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए राज्यसभा में पारित कोड ऑफ क्रिमिनल प्रसीजर (सीआरपीसी) बिल, 2006 में ये अहम प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में बयान से मुकरने वाले गवाहों को अधिकतम एक साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि इसमें बलात्कार के मामलों की जाँच सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकेंगी।

पीड़ित महिला की चिकित्सकीय जाँच महिला चिकित्सक से कराई जाएगी तथा ऐसे मामलों की सुनवाई जहाँ तक संभव हो सकेगा महिला जज के द्वारा ही की जाएगी। एक प्रावधान यह भी है कि बलात्कार पीड़ित महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी उसके घर या बताई अन्य जगह पर वकील, रिश्तेदार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। विधेयक में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कानून का उल्लंघन करने वालों को दिक्कत होगी और पीड़ितों को मदद मिलेगी। इसमें अपराध से पीड़ित असहाय लोगों को उचित मुआवजे का भी प्रावधान है।

बिल के एक प्रावधान के अनुसार, गवाह के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भी गवाह बयान दे सकता है। मकसद यह है कि गवाह बयान बदले न बदले फिर भी यदि गवाह बयान से मुकरता है तो उसके लिए तीन महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों की सुनवाई को भी मंजूरी दी गई।

गाँधी दर्शन प्रणीत शुद्धिकरण मंच

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के पटल पर हुए अपरिमित प्रमाणित गबन-घोटाले एवं अवैधताएँ

पुन: उच्चस्तरीय जाँच के कटघरे में आने के संकेत

संस्थानिक संवाददाता

''न्यायिक ज्वाला'' विगत लम्बे अंतराल से उपरोक्त संदर्भ में निरन्तर पाठकों एवं सम्बन्धितों को प्रमाणित जानकारी देता आ रहा है। संस्था शुद्धिकरण का लक्ष्य लेकर चलाया जा रहा अभियान विगत 15 वर्ष से जब संस्था संघ के अन्तर पटल पर न्याय या निर्णय निर्णय ही नहीं कर सका, बल्कि प्रगट प्रमाणित दुराचरणों को भी समझपूर्वक सम्बन्धित संगठित तंत्र के द्वारा निरंतर दबाया जाता रहा तो गाँधी और खादी विचार के संरक्षण में इन प्रकरणों को जनहित में प्रत्यक्ष न्यायिक प्रक्रियाओं से जाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार कानून का सहारा लिया गया। खादी कमीशन जयपुर से विधिवत चाही गई जानकारी (274 पृष्ठ) मिली उससे यह प्रमाणित हो गया कि संस्था संघ के संगठित तंत्र के साथ खादी कमीशन जयपुर की भी पूरी मिलीभगत से भी इन अनाचरणों को और अधिक गति प्रदान की गई है।

खादी कमीशन के केन्द्रीय सूचना अधिकारी ने भेजी गई जानकारी के साथ यह स्वीकार किया कि सभी प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित है। इसी श्रृंखला में खादी कमीशन के उत्तर क्षेत्रीय प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष ने अपने एक पत्र में माना है कि संस्था संघ से मैरिनो ऊन के व्यवहार में भारी गबन-घोटाला हुआ है और तीन वर्ष पूर्व करवाए गए चुनाव विधिसम्मत नहीं हुए थे। इन दोनों ही सकारात्मक पत्रों पर उठे प्रश्नों का उत्तर और उनकी जवाबदेही के बारे में खादी कमीशन मुम्बई के मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष, उपरोक्त प्रकरण पत्र समिति के अध्यक्ष, निदेशक खादी कमीशन, जयपुर आदि से पत्र देकर पूछा गया तो सीधा उत्तर तो नहीं मिला परन्तु विधिवत जानकारी मिली है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी ने सम्बन्धितों से स्पष्टीकरण लिखित में मांगा था। स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उन्होंने सम्बन्धितों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

गत दिनांक 23.12.08 को खादी कमीशन की केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति की बैठक जयपुर में हुई थी। समिति के अध्यक्ष श्री मनुभाई मेहता को उपरोक्त अनाचरणों की प्रमाणित जानकारियों का 13 पृष्ठीय जाँच कर निर्णय हेतु शिकायती दस्तावेज दिया तो उनका भी उत्तर था कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है क्योंकि संबंधित समस्त रिकॉर्ड सी.बी.ओ. (मुख्य सतर्कता अधिकारी) ने तलब कर लिया है। फिर भी उन्होंने दबी जबान से कहा कि वे नियमों के अन्तर्गत जो कुछ कर सकेंगे, करने का प्रयास करेंगे। श्री मेहता को दिये गए दस्तावेजों के आधार पर निम्नांकित आरोपित बिन्दु जाहिर किए हैं।

1. अनेक स्तरों पर प्रकट हुए अनाचरणों के क्रम में संघ की साधारण सभा द्वारा अलग-अलग खंडों में तीन एफआईआर दर्ज कराये जाने के निर्णय हुए थे उनमें से मात्र प्रथम एक एफआईआर दर्ज कराई गई उस पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित होने के फलस्वरूप एक सम्बन्धित कार्यकर्ता को साढ़े चार वर्ष की सजा भी हो गई। परन्तु उससे सम्बन्धित लाखों की गबन राशि की वसूली का कोई दीवानी दावा आदि नहीं हुआ बल्कि उसे समझ पूर्वक दबाया हुआ है।

2. शेष लाखों लाखों की दो एफआईआर दर्ज ही नहीं कराई गई।

3. संस्थाओं के साथ बोगस व्यवहार के तहत जो कांड प्रकट हुए थे उसकी सही स्थिति जानने के लिए सभी सम्बन्धित संस्थाओं से खाता मिलान करने का निर्णय भी हुआ था वह भी समझपूर्वक नहीं कराया गया।

4. वर्ष 1995-96 के बहीखाते और सम्बन्धित रिकॉर्ड समझपूर्वक गायब करवा दिये गए। जिससे प्राप्त करने के लिए कोई न्यायिक कार्यवाही आज तक नहीं की गई।

5. संस्था संघ के कारबार का सीए द्वारा आंतरिक और बाहरी ऑडिट भी होता रहा है किन्तु प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस अवधि के लेखों की जाँच रिपोर्टों में इन प्रकरणों से सम्बन्धित कमियों के बारे में कोई संकेत नहीं दिये हैं। यहाँ यह बताना भी जरूरी होगा कि मेरीनो ऊन का विस्तार से आंतरिक अंकेक्षण संस्था संघ से प्रभावी जुड़े रहे (अध्यक्ष, मंत्री व सदस्य) मुख्य व्यक्ति स्वर्गीय श्री छीतरमल गोयल के सुपुत्र श्री अशोक कुमार गोयल (सीए) द्वारा होता रहा था।

6. मुख्य अनाचरण मेरीनो ऊन काण्ड से सम्बन्धित है। यदि इच्छाशक्ति के साथ सभी निर्णायक जाँच हो जाये तो इस गबन के आंकड़े सात करोड़ तक जा सकते हैं।

7. ये अनाचरण कोई एक वर्ष में नहीं हुआ, 10-12 वर्ष तक योजनापूर्वक चला है जिसको अकेला कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं चला सकता। प्राय: सभी सम्बन्धित लोग आपसी चर्चाओं में ये जाहिर करते रहे हैं कि इस काण्ड में एक नियोजित ग्रुप शामिल रहा है। इस पूरे गबनकाल का विधिक नियंत्रण विभिन्न पदों के द्वारा जाने माने मुख्य व्यक्ति श्री रामवल्लभ जी अग्रवाल का रहा है। प्रथम एफआईआर के मुख्य आरोपी भी इन्हीं को बनाया गया था किन्तु किन्हीं भी आपसी दबावों अथवा प्रलोभनों से इन्हें प्रथम एफआईआर से ही समझपूर्वक अलग करवा दिया गया।

8. खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाण पत्र समिति के ऑडिटरों ने अपनी जाँच के दौरान अनेक गंभीर ऑडिट मीमो व्यवस्था को दिये हैं जो आज तक निरुत्तर हैं। उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी बनी वह भी आज तक ठंडे बस्ते में अनिर्णित हालात में बंद पड़ी है।

9. एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की टीम से भारी भरकम फीस देकर आंतरिक जांच भी कराई गई थी किन्तु उसका भी निस्तारण नहीं कराया गया। रिपोर्ट यथास्थिति में दबी पड़ी है।

10. खादी ग्रामोद्योग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मेरीनो ऊन खरीद (आयात) पर कस्टम ड्यूटी 1.50 करोड़ के लगभग चुकाई गई है। जबकि खादी क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। यदि एक बार चुका भी दी जाती है तो उसे वापिस लिये जाने का प्रावधान है जो नहीं ली गई। ऐसा लगता है कि मेरीनो ऊन सप्लाई करने वाली पार्टियों ने भी ये कस्टम राशि सरकार में जमा नहीं कराई है और क्रेता-विक्रताओं ने मिलीभगत से उसे पचा लिया है।

11. संस्था संघ की साधारण सभा की पिछली कार्यवाहियों से ये भी जाहिर हुआ है कि निवृत्तमान मंत्री ने नये मंत्री को इन प्रकरणों से सम्बन्धित मूल फाईल भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इन्हीं आरोपित बिन्दुओं से जब राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर के सचिव को सप्रमाण अवगत कराया तो उन्होंने भी निदेशक खादी कमीशन जयपुर को निम्न पत्र द्वारा जाँच कर रिपोर्ट देने को लिखा है।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

निदेशक
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
झालाना डूंगरी

विषय :- राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर में हुए घोटालों एवं अवैध चुनावों के क्रम में।

प्रसंग :- श्री रामदयाल खण्डेलवाल एवं श्री मणिकान्त खेतान से प्राप्त पत्रों के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न कर उसमें वर्णित आक्षेपित बिन्दुओं की जाँच एवं उचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है। कृपया की गई कार्यवाही से श्री खण्डेलवाल एवं श्री खेतान को सूचित कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का श्रम करें।

एन.के. खींचा
सचिव

उपरोक्त प्रारम्भिक कृति ने ही सभी सम्बन्धितों में हड़कम्प मचा दिया है। रामचरित मानस में सटीक उल्लेख है कि-

विनय न मानत जलधि जड़, गये तीन दिन बीत।
बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत।।

निश्चय ही इस सामान्य प्रारम्भिक भय से सभी सम्बन्धित भययुक्त चिंताओं में डूबे हुए नजर आने लगे हैं। निश्चित ही शिकायतकर्ता मंच तथा आरोपित पक्ष को यह पूरा आभास होने लगा है कि अब देर-सवेर इन प्रकरणों का आपरेशन होना सुनिश्चित है। मंच का तो यह भी पूरा प्रयास है कि इन अनाचरणों को केवल खादी कमीशन के भरोसे ही नहीं छोड़ दिया जाए इन्हें तो अन्यान्य सक्षम माध्यमों के सहयोग से सक्षम न्यायिक प्रक्रिया में ले जाया जाए।

बेहद आश्चर्य है कि - इस सामान्य हलचल से ही भयभीत होकर विभिन्न स्तर के संस्था संघ से जुड़े अनेक शुभचिन्तकों का शिकायतकर्ता को प्रत्यक्ष और फोन पर यह अनुरोध, निर्देश और सलाह मिल रही है कि- **इस कार्यवाही से तो संस्था संघ ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दोषियों के साथ पूरा घर, झौंपड़ी मत जलाओ। आपस में बैठकर समाधान किया जाए।** मंच की ओर से तत्काल उत्तर दिया जा रहा है कि 15 वर्ष तक की गई शिकायतों को अनुत्तरित करते हुए सम्बन्धित लेखा, संवादहीन, संवेदनहीन ही नहीं बने रहे बल्कि निरंतर अनेक प्रकरण अपमानित करते रहे हैं अपने संगठित अहंकार में समझपूर्वक दबाते रहे ऐसे जहरीले सर्पों को पनाह देने वालों और घर-झौंपड़ी सहित जला देने से ही गाँधी और खादी विचार बच पाएगा। भ्रमित सलाहकारों से उपरोक्त प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में वस्तुस्थिति को समझाने की आवश्यकता है। जब तक ये साँप-कीड़े नहीं मरेंगे या घर छोड़कर नहीं भागेंगे तब तक संस्था संघ जो प्राय: अपनी प्रकृति से समाप्त हो गया है अपने पूरन स्वरूप में नहीं आपाएगा। सभी पाठकगण और सम्बन्धित लोग शीघ्र संभावित कार्यवाही की प्रतीक्षा करें।

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

परामर्श मण्डल

न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री बी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री आर.पी. नाग	सेवा निवृत्त महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री दिनेश अत्री	एडवोकेट
8.	श्री बी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। ई-मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।